DCS(A)

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1151—1155

Dated 12-6-2004

शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2004

सा.का.नि. 198.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय (वर्ग I पद) भर्ती नियम, 1975 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय में लेखन सामग्री उप नियंत्रक (प्रशासन) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय, लेखन सामग्री उप नियंत्रक (प्रशासन) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके उन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
लेखन सामग्री उप नियंत्रक (प्रशासन)	01* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	10000-325-15200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

7	8	9	10
नहीं	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
11	12
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** 7450—11500 रु. के वेतनमान में ऐसे लेखन सामग्री सहायक नियंत्रक जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित सात वर्ष सेवा की है। जिसके न हो सकने पर 7450—11500 रु. के वेतनमान में लेखन सामग्री सहायक नियंत्रक और 6500—10500 रु. के वेतनमान में सहायक नियंत्रक प्रकाशन, सहायक प्रबंधक (प्रशासन) की श्रेणियों में संयुक्त रूप से आठ वर्ष की नियमित सेवा की है जिसमें से लेखन सामग्री सहायक नियंत्रक के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 7450—11500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की है; या (iii) जिन्होने मूल काडर या विभाग में 6500—10500 रु. के या समतुल्य वेतनमान में उस श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्थापन, लेखा और बजट कार्य में पांच वर्ष का अनुभव हैं; पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय —सदस्य 3. लेखन सामग्री नियंत्रक, भारत सरकार लेखन सामग्री कार्यालय —सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/1/2001-लेख]

एस. पी. गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 2nd June, 2004

G.S.R. 198.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Government of India Stationery Office (Class I Post) Recruitment Rules, 1975, excepts as respects things done or omitted to be done before supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Deputy Controller of Stationery (Administration) in the Government of India Stationery Office in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Government of India Stationery Office, Deputy Controller of Stationery (Administration) Recruitment Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of post, its classification and scale of pay attached thereto shall be as specified against in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to the rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, where necessary, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay (Rupees)	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6
Deputy Controller of Stationery (Administration)	01* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Ministerial	Rs. 10000-325-15200	Selection	Not applicable

1695GI/04

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualification required for direct recruitment	Whether age and education qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
No	Not applicable	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
11	12
Promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Assistant Controller of Stationery in the pay scale of Rs. 7450—11500 with seven years regular service in the grade; failing which with eight years combined regular service in the grades of Assistant Controller of Stationery in the pay scale of Rs. 7450—11500 and Assistant Controller of Publication Assistant Manager (Administration) in the pay scale of Rs. 6500—10500 out of which four years of regular service as Assistant Controller of Stationery. **NOTE :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation :** Officers under the Central Government :— (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) With seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay Rs. 7450—11500 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) With eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing five years experience in establishment, accounts and budget work. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (considering promotion) :— (1) Chairman/Member, Union Public Service Commission —Chairman (2) Joint Secretary, Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation —Member (3) Controller of Stationery; Government of India Stationery Office —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. A-12018/1/2003-]

S. P. GUPTA, Dy. Secy.

1695 GI/04

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.